पत्रांक–2प0 / पं0स0भ0–9–8 / 2018 / 1818 / पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 17 / 3 / 2021

विषयः ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना प्रावैधिकी का उपयोग बढ़ाने तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के कार्यों की प्रभावी प्रबंधन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या–4045 दिनांक 25.07.2018 द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से एक–एक कार्यपालक सहायक का नियोजन करने का प्रावधान किया गया था।

2. विभागीय संकल्प संख्या–4045 दिनांक 25.07.2018 की कंडिका–3 के पारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यपालक सहायकों का नियोजन मानदेय के आधार पर दिनांक 31.03.2020 तक के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगे भी जारी रखा जाएगा।

3. ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों द्वारा वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं के आंकड़ों / प्रतिवेदन / लेखा विवरणी आदि की प्रविष्टि ई–पंचायत के विविध PES Application में किया जाना है। इन ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों द्वारा RTPS केन्द्रों का संचालन एवं GPDP से संबंधित कार्य तथा पंचायत स्तर के अन्य कार्य के अतिरिक्त वरीय पदाधिकारियों द्वारा सौंपे गये पंचायत संबंधित अन्य कार्यों का निष्पादन भी किया जाना है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव की कमी को देखते हुए इनकी सेवा अन्य विविध कार्यों में जिला पदाधिकारी द्वारा लिया जाता है।

लगातार......

4. विभागीय पत्रांक 15(गो०) दिनांक 30.03.2020 द्वारा ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि का विस्तार 01.04.2020 से 31.05.2020 तक तथा पुनः इनकी सेवा अवधि का विस्तार 01.06.2020 से 31.03.2021 तक इस शर्त्त के साथ किया गया था कि वे PRIASOFT / IMIS / NISCHAY SOFT आदि का अद्यतन करने का कार्य अनिवार्यतः करेंगे। पंचायती राज विभाग का यह कार्य सतत् अद्यतन नहीं रखने वाले कार्यपालक सहायकों की संविदा को समाप्त करते हुए किसी भी समय सेवा से हटाया जा सकेगा। जारी रखने का निर्णय लेते हुए सभी जिला पदाधिकारी को पत्र निर्गत किया गया था।

5. वर्तमान में पुनः ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों द्वारा PFMS एवं PRIASOFT के अलावा जिला प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले सभी कार्यों को सम्पन्न किया जा रहा है। उक्त के आलोक में इनकी कार्यावधि 31.03.2022 तक की अवधि विस्तार किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि नियोजित ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों की सेवा को जारी रखने के संबंध में अपने स्तर से सभी संबंधितों को उक्तवत निदेशित करने की व्यवस्था की जाये।

विश्वासभाजन

17.3.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–2प0 / पं0स0भ0–9–8 / 2018 / 1818 / पं0रा0 पटना, दिनांक 17 / 3 / 2021

प्रतिलिपि – सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-3.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–2प0 / पं0स0भ0–9–8 / 2018 / 1818 / पं0रा0 पटना, दिनांक 17 / 3 / 2021

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17.3.21
(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव